रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग—I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 1973/पौष 25, 1894

No. 11] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 1973/PAUSA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th January 1973

SUBJECT:—*Sale of goods imported by foreign participants in the Third Asian International Trade Fair, 1972, New Delhi.*

No. 5-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 178-ITC(PN)/72, dated the 4th December, 1972 which lays down the procedure for submission of applications by actual users for the purchase of goods imported by foreign participants in the Third Asian International Trade Fair, 1972.

2. It has been decided to fix 31st January, 1973 as the last date by which actual users should submit their import applications in accordance with the aforesaid Public Notice No. 178-ITC(PN)/72, dated the 4th December, 1972. Accordingly, the

actual users willing to purchase the goods from foreign participants and who do not hold valid import licences but whose applications for import licences for the goods sought to be purchased are pending with the licensing or the sponsoring authorities, should send intimations in regard to the particulars of such pending applications in terms of paragraph 3 of the aforesaid Public Notice dated the 4th December, 1972, so as to reach the Chief Controller of Imports & Exports (Exhibition Cell), Udyog Bhavan, New Delhi, on or before 31st January, 1973.

3. Actual users willing to purchase the goods from foreign participants who do not hold valid import licences and who have also not so far applied for import licences for the goods in question, should, like-wise, submit their applicatons for the grant of import licences in terms of paragraph 4 of the aforesaid Public Notice dated the 4th December, 1972 through the sponsoring authorities concerned, on or before 31st January, 1973. Applications received by the sponsoring authorities concerned after this date will not be entertained under the aforesaid Public Notice.

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1973

विषय :—विदेशी भागीदारों द्वारा आयातित माल की तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेला, 1972 नई दिल्ली में बिक्री।

सं० 5—आई०टी०सी० (पीएन)/73.—विदेश व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 178—आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें विदेशी भागीदारों द्वारा तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेला, 1972 में आयातित माल की वास्तविक-उपयोक्ताओं द्वारा खरीद की जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए क्रियाविधि निर्धारित है।

2. 31 जनवरी, 1973 को अन्तिम तिथि निर्धारित करने का निश्चय किया गया है जिससे कि वास्तविक उपयोक्ता पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना संख्या, 178—आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 के अनुसार अपना आयात आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकें। तदनुसार, वे वास्तविक उपयोक्ता जो विदेशी भागीदारों से माल खरीदने के इच्छुक हैं और उनके पास वैध आयात लाइसेंस नहीं हैं, किन्तु खरीद किए जाने वाले वांछित माल के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भेजे गए आवेदन-पत्र लाइसेंस दो प्रायोजित प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े हुए हैं तो उन्हें चाहिए कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना संख्या 178—आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 की कण्डिका 3 की शर्तों के अनुसार ऐसे अनिर्णीत पड़े हुए आवेदन-पत्रों के ब्यौरे के सम्बन्ध में सूचना भेजें। यह सूचना मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात (प्रदर्शनी कक्ष), उद्योग भवन, नई दिल्ली को 31 जनवरी, 1973 को या इससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

3. ऐसे वास्तविक उपयोक्ता जो विदेशी भागीदारों से माल खरीदने के इच्छुक हैं लेकिन उनके पास वैध आयात लाइसेंस नहीं हैं और वे जिन्होंने अभी तक विषयाधीन माल के सम्बन्ध में आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन भी नहीं किया है, उन्हें चाहिए कि वे इसी तरह उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 4-12-1972 की कण्डिका 4 के अनुसार आयात लाइसेंसों के लिए अपने आवेदन-पत्र सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से 31 जनवरी, 1973 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करें। सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा, उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत, इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

के० एस० नारंग,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973